न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/109

श्रीलाल आत्मज गोरधन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. रतनी बाई बेवा श्री लाल
2. कंचन बाई पुत्री श्रीलाल
3. शांति बाई पुत्री श्रीलाल जाति माली निवासीगण दीगोद जिला कोटा जरिये मुख्तार खास तेजेन्द्र सिंह आरोडा आत्मज श्री हरभजन सिंह जाति सिक्ख निवासी गुरूद्वारे के पास, कोटा जंक्शन कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बद्री बाई पत्नी मोहन लाल जाति माली निवासी ग्राम मोरपा हाल निवास साजीदेहडा किशोरपुरा कोटा ।
2. मुन्नी देवी पत्नी पारस चन्द निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. मगन लाल आत्मज गोरधन जाति माली निवासी खेडली तंवरान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम –2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 21.08.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र संख्या 15/09 अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेडली तंवरान तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 12 किता की 7.32 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि में सभी सहखातेदारों का बराबर–बराबर हिस्सा है । उक्त भूमि में प्रार्थी क्रम 01 का 1/3 हिस्सा व प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 का 2/3 हिस्सा है । प्रार्थी क्रम 01 महिला है तथा कोटा निवासी करती है जिससे प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 प्रार्थिनी क्रम 01 को उसके 1/3 हिस्से की आराजी की पूरी आय नहीं देते थे इस कारण प्रार्थिनी ने अपने 1/3 हिस्से को दिनांक 13.04.2007 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रार्थी क्रम 2 को विक्रय कर दिया जिससे प्रार्थिनी क्रम 01 के हिस्से की अधिकारिणी प्रार्थिनी क्रम 02 है तथा वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से के सहकृषक हैं । प्रार्थिनी क्रम 02 को उसके 1/3 हिस्से की उपाज से महरूम कर देने से प्रार्थिनी क्रम 02 वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त कराने की अधिकारिनी है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिनी क्रम 1 के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण क्रम 01 के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण क्रम 02 के 1/3 हिस्से की भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर तहसीलदार दीगोद को रिसीवर नियुक्त किया जावे तथा विकल्प में यह भी निवेदन है कि प्रार्थी क्रम 02 के 1/3 हिस्से की भूमि पर नगद प्रतिभूति राशि जमा करवाये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.12.2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिनी क्रम 01 एवं प्रतिपक्षी क्रम 02 के 1/3 –1/3 हिस्से पर 2250/– रूपये प्रतिवर्ष प्रतिबीघा नकद प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त पर प्रतिपक्षी क्रम 01 को कब्जा बनाये रखने की अनुमति प्रदान करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी क्रम 2/1 से 2/3 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिपक्षी क्रम 02 के व उसके अधिवक्ता को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अन्य पक्षकारों को सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट की भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 2 व 3 का 1/3 – 1/3 हिस्सा है । इस कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 02 को दिनांक 13.04.2007 को बेचान कर दी जबकि रेस्पोडेन्ट क्रम 01 का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है । पूर्व में श्रीलाल द्वारा भी 1/3 हिस्से की भूमि के बाबत् रिसीवर प्रार्थना पत्र पेश किया था जो बाद में मौखिक रूप से विड्रो कर लिया गया किन्तु उसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट व उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति में जारी किया गया है । इसलिए उन्हें उक्त अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं थी उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट की ओर से नियुक्त उनके मुख्तारआम को दिनांक 31.01.2018 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय से वादग्रस्त आराजी ग्राम खेडली तंवरान तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 12 किता की 7.32 हैक्टर स्थित है । आराजी जो प्रार्थिया एवं प्रतिपक्षीगण क्रम 1 व 2 के शामलाती खाते में थी के बाबत् नगद प्रतिभूति का आदेश पारित किया है । प्रार्थिया क्रम 01 के 1/3 हिस्से पर रिसीवर नियुक्त करने के साथ–साथ अपीलान्ट प्रतिपक्षी क्रम 02 के 1/3 हिस्से पर भी रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित किया है जो विधि–विरूद्ध है । अपीलान्ट के कब्जे की आराजी पर जो नगद प्रतिभूति का आदेश पारित किया है उससे अपीलान्ट की आराजी को मुक्त किया जावे । नगद प्रतिभूति का आदेश प्रार्थिया की आराजी के बाबत् किया जाना चाहिए, अपीलान्ट की आराजी के बाबत् नगद प्रतिभूति का ओदश विधि– विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि इस न्यायालय में पूर्व में एक अपील इसी आदेश के खिलाफ मगनलाल अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 11.01.2016 को इस न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है और अपील खारिज की गई है । अब उसी निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाई जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2015 से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया गया । इस निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट मगनलाल के द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 16/01 पेश की गई थी जिसका निर्णय इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.06.2016 को पारित किया गया और अपील अपीलान्ट खारिज की गई है । अब इसी निर्णय के खिलाफ यह अपील अपीलान्ट के द्वारा पेश की गई है । चूँकि इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में अपीलाधीन आदेश के खिलाफ पेश की गई अपील में निर्णय पारित किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में पुनः उसी निर्णय के खिलाफ यह अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मगनलाल के द्वारा पेश की गई अपील में

अपीलान्ट बहैसियत रेस्पोडेन्ट क्रम 3/1 से 3/3 उपस्थित थे । यदि उन्हें अपीलाधीन निर्णय से अप्रसन्नता थी तो उन्हें तत्समय काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । तद्नुसार अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है ।

12. निर्णय आज दिनांक 21.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.8.20

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा